भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2346
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी देने में विलंब

2346. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तंजावुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 01.04.2024 से पहले रोजगार उपलब्ध कराया गया है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या त्यौहारों के मौसम के बावजूद तमिलनाडु में विगत चार महीनों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कामगारों को मजदूरी नहीं मिली है , यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कतिपय राज्यों के संबंध में निधियां रोक ली गई हैं और यदि हां , तो इसके राज्य-वार क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 (06.12.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान तमिलनाडु राज्य (तंजावुर जिले सहित) में सृजित जिलावार श्रम दिवस **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख): तमिलनाडु राज्य के संबंध में भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के कामगारों की मजदूरी का भुगतान पहले ही जारी किया जा चुका है और दिनांक 04.12.2024 की स्थिति के अनुसार मजदूरी की कोई देयता लंबित नहीं है। दिनांक 04.12.2024 की स्थिति के अनुसार मजदूरी की लंबित देनदारी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, जैसे ही राज्य सरकार से प्रस्ताव आवश्यक दस्तावेज़ो के साथ प्राप्त होता है, लंबित मजदूरी का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है।

(ग): वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र को मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक आकस्मिकता के लिए 76,776.97 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसमें तमिलनाडु राज्य को जारी की गई 7,182.56 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र -वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में , केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत दिनांक 09 मार्च 2022 से निधियां जारी करना बंद कर दिया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2346 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 (06.12.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत तमिलनाडु राज्य में सृजित जिलावार श्रमदिवस							
क्र.सं.	तमिलनाडु के जिले	**सृजित श्रमदिवस**					
		2024-25	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**
1	अरियालूर	4996467	7257216	3890624	4558426	4833591	2531624
2	चेंगलपट्टू*	4738535	13706321	13968615	13458296	10734571	-
3	कोयंबटूर	1756622	2883413	2917727	3755501	4466756	3321401
4	कुड्डालोर	10243588	18834650	11915336	10601602	11409103	8886045
5	धर्मपुरी	4864079	11829889	5593711	5110440	5742075	3415012
6	डिंडीगुल	6075135	16434128	12488978	15922970	15648941	13824586
7	इरोड	3254171	7681605	7067166	7142460	7152808	5360103
8	कल्लाकुरिची*	9365078	11628559	9328634	8182014	8746259	-
9	कांचीपुरम	3544712	9501420	9049922	9296144	8369355	19621036
10	कन्नियाकुमारी	1188451	2120258	2210148	2252216	2148054	1994175
11	करूर	2582502	7753617	6330004	7468272	8346712	6995361
12	कृष्णागिरी	6780193	13493324	11337813	12165980	10712932	8166879
13	मदुरै	6906584	14428348	10730894	10771282	10644252	7066766
14	मयिलादुथुराई*	4229083	8392302	8344399	5594686	-	-
15	नागपट्टिनम	2468440	6607446	6062668	5275441	11871934	8754316
16	नमक्कल	5855384	9603196	7050957	8603288	9758957	6737657
17	पेरम्बलूर	2285114	5236306	3504946	3254462	3113541	1870317
18	पुदुक्कोट्टई	8239167	19242697	14198630	16104027	15288412	9595245
19	रामनाथपुरम	6075338	12882612	10068279	11735876	11998506	8146549
20	रानीपेट*	5208170	8243007	7392868	5353346	5084620	-
21	सलेम	6965805	18019148	12015686	12148613	12351510	8563501
22	शिवगंगाई	5679047	12361824	11522894	11355617	11217280	7791350
23	तेनकासी*	2475770	6369326	5510413	5875232	6020978	-
24	तंजावुर	8153854	16052476	11060031	11400473	12125529	11728933
25	नीलगिरी	718798	1093720	988267	1468960	1700490	1293964
26	थेनी	1350262	2909856	1762435	2720506	2592121	1645685

27	थूथुकुडी	4430633	9107024	7895179	8225683	8468964	6987588
28	तिरुचिरापल्ली	8684124	16839213	18229758	18702490	17582480	13013406
29	तिरुनेलवेली	2362972	5552631	5192564	4490156	5554626	8845795
30	तिरुपथुर*	2596252	7531429	5760302	4127118	4711273	-
31	तिरुपूर	3623632	7255761	7734676	8510971	8514462	7142387
32	तिरुवल्लुर	7786469	16897470	15474947	14993111	12736619	12532186
33	तिरुवन्नामलाई	14886489	31358136	25805190	25178823	25768733	16173969
34	तिरुवरुर	2704913	7991576	5584607	6824803	9028203	6107230
35	वेल्लोर	3898178	9114537	7952011	6664232	6413119	13076827
36	विल्लुपुरम	12894772	19370515	17458560	23464517	13588987	10152626
37	विरुधुनगर	6619728	13116869	11253936	12964512	9499097	7167588
	कुल	**196488511**	**408701825**	**334653775**	**345722546**	**333945850**	**248510107**

* नए बनाए गए जिले

अनुबंध-II

लोकसभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2346 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी के लिए लंबित देयता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (04.12.2024 की स्थिति के अनुसार) (रुपये लाख में)		
क्र.सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	मजदूरी घटक के तहत लंबित देयता
1	असम	2498.79
2	गुजरात	5573.40
3	मध्यप्रदेश	13748.50
4	मेघालय	8097.34
5	मिजोरम	1101.86
6	नागालैंड	18796.50
7	त्रिपुरा	8992.86
8	पुदुचेरी	105.01
कुल		**58,914.25**

अनुबंध-III

लोकसभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2346 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांक 05.12.2024 तक जारी केंद्रीय राशि (रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटक के लिए जारी निधि
1	आंध्र प्रदेश	7282.41
2	अरुणाचल प्रदेश	443.76
3	असम	1701.25
4	बिहार	6456.24
5	छत्तीसगढ़	2996.56
6	गोवा	2.99
7	गुजरात	1215.72
8	हरियाणा	529.83
9	हिमाचल प्रदेश	1140.13
10	जम्मू एवं कश्मीर	1015.74
11	झारखंड	2057.99
12	कर्नाटक	5009.86
13	केरल	2838.68
14	मध्य प्रदेश	5212.39
15	महाराष्ट्र	3868.31
16	मणिपुर	359.87
17	मेघालय	900.69
18	मिजोरम	405.39
19	नागालैंड	236.20
20	ओडिशा	3031.49
21	पंजाब	1127.22
22	राजस्थान	7073.19
23	सिक्किम	86.93
24	तमिलनाडु	**7182.56**
25	तेलंगाना	3753.68
26	त्रिपुरा	928.99

27	उत्तर प्रदेश	9272.55
28	उत्तराखंड	535.41
29	पुदुचेरी	39.96
30	लद्दाख	62.86
31	अंडमान और निकोबार	3.77
32	लक्षद्वीप	0.00
33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.34
	कुल	76,776.97

नोट: जारी निधि में वित्त वर्ष 2023-24 की लंबित देनदारी भी शामिल है

****